FORM No. III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

## जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

प्रकाश वगैरह बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा –भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 नंबर 37 सन 2023

| व हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मु०न० 37/2023 (विविध) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| ·07·23 | प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 शिविर ग्राम पंचायत बालाहेडा में प्रार्थीगण प्रकाश व शिवराम जातियान मीना निवासी झूथांहेडा खुर्द तहसील बैजूपाडा द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के पिता का समस्त दस्तावेजो में किशोरी नाम है, लेकिन वर्तमान खाता संख्या 23 व 22 राजस्व रिकॉर्ड खतौनी झूथाहेडा खुर्द की भूमि में शिवराम, प्रकाश पिता गोपी है जबकि प्रार्थी का पिता का नाम किशोरी है। जमांबदी में दर्ज पिता का नाम गोपी की जगह किशोरी दर्ज करने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत् पटवारी हल्का बैजूपाडा, भू0अ0नि0 बैजूपाडा, तहसीलदार बैजूपाडा, ग्राम पंचायत की संयुक्त जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। जिसके अनुसार प्रार्थीगण के पिता गोपी के स्थान पर किशोरी दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गई है। हमने पटवारी हल्का एव भू.अ.नि. वृत.तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं शिविर में उपस्थित आमजन से जानकारी ली गई। प्राथीगण के पिता का शुद्व नाम गोपी के स्थान पर किशोरी होना पाया गया। उपरोक्त विवेचरन के आधार पर प्रार्थीगण के पिता गोपी के स्थान पर किशोरी शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।<br>अत आदेश दिये जाते है राजस्व जमाबंदी संवत 2076–2079 ग्राम झूॅथाहेडा खुर्द तहसील बैजूपाडा के खाता संख्या नया 62 में दर्ज नाम प्रकाश पुत्र गोपी व शिवराम पुत्र गोपी स्थान पर प्रकाश पुत्र किशोर एवं शिवराम पुत्र किशोरी दर्ज किया जावे। शेष इन्द्राजात जमाबंदी यथावत रहेगा। तहसीलदार बैजपूाडा को नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर,, फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>(भावना शर्मा,**R.A.S.**)<br>उपखण्ड अधिकारी, मंडावर | |